The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II खण्ड 3-3प-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 848] No. 848]

नई दिल्ली, शक्तवार, मई 13, 2011 विशाख 23, 1933 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2011/VAISAKHA 23, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसचना

नई दिल्ली, 13 मई , 2011

का, आ, 1045(अ),--कर्मवारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदुद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की शारीख़ से भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 16 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2202 (अ) द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति के सदस्यों के तौर पर नियुक्त करती हैं, अर्थात् :--

(क) धारा उकक की उप-धारा (2) के खांड (क) के अंतर्गत नियुक्त

आख्यस

- सचिव, भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय ब्रम शक्ति पवन, नई दिल्ली
- (ख) धारा ५कक की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त
 - 2. अपर सचिव, घरत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
 - 3. वित्त सस्तहकार क्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।

- (ग) भारा 5कक की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत नियुक्त
 - प्रतिनिधि, असम सरकार, श्रम विधाग, असम
 - प्रतिनिधि, राजस्थान सरकार, श्रम विभाग, राजस्थान
 - प्रतिनिधि, तमिलनाडु सरकार, श्रम विभाग, तमिलनाडु
- (घ) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अंतर्गत नियुक्त
 - 7. डॉ. यू. डी. चौथे
 - श्री संतोष सर्राफ
 - श्री रवि विज
- (ङ) धारा ऽकक की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) के अंतर्गत
 - 10. श्री जी. संजीवा रेइडी
 - 11. श्री गिरिश अवस्थी
 - 12 औ डो. एल. सचदेव
- (च) धारा ऽकक की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के अंतर्गत
 - केन्द्रीय भविष्य निधि आवृक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, 14, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

[फा. सं. थी-20012/1/2006-एस.एस.-11] रवि माधुर, अपर सचिव

1708 GI/2011

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2011

S.O. 1045(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5AA of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby appoints, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, the following persons as members of the Executive Committee constituted under the said Act in place of persons appointed vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2202(E) dated the 16th September, 2008 namely:—

(a) Appointed under clause (a) of sub-section (2) of Section 5AA.

Chairperson

- Secretary to the Government of India, Ministry of Labour & Employment, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
- (b) Appointed under clause (b) of sub-section (2) of Section 5AA.
 - Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour & Employment, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
 - Financial Advisor, Ministry of Labour & Employment, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

- (c) Appointed under clause (c) of sub-section (2) of Section 5AA.
- Representative of the Government of Assam, Labour Department, Assam.
- Representative of the Government of Rajasthan, Labour Department, Rajasthan.
- Representative of the Government of Tamil Nadu, Labour Department, Tamil Nadu.
- (d) Appointed under clause (d) of sub-section (2) of Section 5AA.
 - 7. Dr. U.D. Choubey
 - 8. Shri Santosh Saraf
 - 9. Shri Ravi Wig.
- (e) Appointed under clause (e) of sub-section (2) of Section 5AA.
 - 10. Shri G.Sanjeeva Reddy
 - 11. Shri Girish Awasthi
 - 12. Shri D.L.Sachdev
- (f) Appointed under clause (f) of sub-section (2) of Section 5AA.
 - The Central Provident Fund Commissioner, Employees' Provident Fund Organisation, 14, Bhikaji Cama place, New Delhi-110066.
 IF. No. V-200 12/1/2006-SS